24 05/25

पत्रावली लोक अदालत की भावना से नियमित तारीख पेशी से तलब की जाकर आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2025 के तहत ग्राम पंचायत जौपाड़ा में आयोजित शिविर में पेश हुई। वकील प्रार्थी उप./तहसीलदार दौसा ने जवाब पेश किया जो शा. कि. किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में आज ही बहस सुनने का निवेदन किया। अतः वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 128 LR Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक् से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

प्रकरण संख्या : 72/2022
श्योदान बनाम तहसीलदार दौसा
निर्णय दिनांक : 24.05.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	संजय कुमार गौरा, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	72/2022
दायर दिनांक	:	28.12.2022
निर्णय दिनांक	:	24.05.2023

उनवान

श्योदान पुत्र रामसहाय जाति मीना, निवासी ग्राम मांगाभाटा तहसील दौसा जिला दौसा
प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार दौसा
2. पटवारी हल्का भांकरी
3. भू–अभिलेख निरीक्षक भांकरी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मांगाभाटा तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 586 रकबा 0.0400 है., खसरा नम्बर 587 रकबा 0.0300 है., खसरा नम्बर 588 रकबा 0.0900 है., खसरा नम्बर 589 रकबा 0.0300 है., खसरा नम्बर 590 रकबा 0.0300 है., खसरा नम्बर 591 रकबा 0.0300 है., खसरा नम्बर 592 रकबा 0.0800 है., खसरा नम्बर 593 रकबा 0.3100 है., खसरा नम्बर 594 रकबा 0.3200 है., खसरा नम्बर 594/921 रकबा 0.1800 है., खसरा नम्बर 595 रकबा 0.3200 है., खसरा नम्बर 596 रकबा 0.3100 है., खसरा नम्बर 597 रकबा 0.1300 है., खसरा नम्बर 598 रकबा 0.4000 है., खसरा नम्बर 599 रकबा 0.5000 है., खसरा नम्बर 600 रकबा 0.4400 है., खसरा नम्बर 601 रकबा 0.1000 है., खसरा नम्बर 602 रकबा 0.1400 है., खसरा नम्बर 605 रकबा 0.5300 है. कुल किता 19 कुल रकबा 4.0100 है. का खातेदार एवं काबिज काश्तकार प्रार्थी है। प्रार्थी की उक्त भूमि के संबंध में आये दिन आस पडोसियान से सीमा विवाद को लेकर विवाद की स्थिति बनी रहती है। प्रार्थी ने उक्त भूमि का सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार दौसा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार दौसा ने राजस्व टीम गठित कर दिनांक 31.05.2022 को उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाया। उक्त सीमाज्ञान के बाद कुछ असाामाजिक तत्व के व्यक्ति सीमाज्ञान के चिह्नित निशानात को मिटाने को आमादा हैं। इसलिये प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाकर उक्त भूमि को सुरक्षित करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम मांगाभाटा तहसील दौसा जिला दौसा स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 586 रकबा 0.0400 है., खसरा नम्बर 587 रकबा 0.0300 है., खसरा नम्बर 588 रकबा 0.0900 है., खसरा नम्बर 589 रकबा 0.0300 है., खसरा नम्बर 590 रकबा 0.0300 है., खसरा नम्बर 591 रकबा 0.0300 है., खसरा नम्बर 592 रकबा 0.0800 है., खसरा नम्बर 593 रकबा 0.3100 है., खसरा नम्बर 594 रकबा 0.3200 है., खसरा नम्बर 594/921 रकबा 0.1800 है., खसरा नम्बर 595 रकबा 0.3200 है., खसरा नम्बर 596 रकबा 0.3100 है., खसरा नम्बर 597 रकबा 0.1300 है., खसरा नम्बर 598 रकबा 0.4000 है., खसरा नम्बर 599 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

5000 है., खसरा नम्बर 600 रकबा 0.4400 है., खसरा नम्बर 601 रकबा 0.1000 है., खसरा नम्बर 602 रकबा 0.1400 है., खसरा नम्बर 605 रकबा 0.5300 है. कुल किता 19 कुल रकबा 4.0100 है. की पत्थरगढी करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2023 के तहत् आयोजित शिविर ग्राम पंचायत जौपाडा में लोक अदालत की भावना से तलब की गयी। तहसीलदार दौसा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रश्नगत भूमि श्योदान पुत्र रामसहाय जाति मीणा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि के खसरा नम्बर 588, 589, 590, 591, 592 पर मौके पर आबादी बाड़ा बने हुए हैं। शेष भूमि मौके पर खाली है। उक्त भूमि का पूर्व में दिनांक 31.05.2022 को सीमाज्ञान किया जा चुका है। उक्त भूमि के संबंध में एक वाद श्योदान बनाम कृषि उपज मण्डी दौसा एवं अन्य के नाम माननीय सिविल न्यायालय दौसा में विचाराधीन है, जिसमें आज दिनांक तक कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है। पत्थरगढी का आदेश माननीय न्यायलय के क्षेत्राधिकार में है।

वकील प्रार्थी ने शिविर में उपस्थित होकर कथन किया कि उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान करवाया जा चुका है एवं तहसीलदार दौसा ने भी अपनी रिपोर्ट में पत्थरगढी कराने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूँकि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। तहसीलदार दौसा ने कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं होना अवगत कराया है तथा पत्थरगढी कराने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। अतः लोक अदालत की भावना से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो, तो प्रार्थी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 586 रकबा 0.0400 है., खसरा नम्बर 587 रकबा 0.0300 है., खसरा नम्बर 588 रकबा 0.0900 है., खसरा नम्बर 589 रकबा 0.0300 है., खसरा नम्बर 590 रकबा 0.0300 है., खसरा नम्बर 591 रकबा 0.0300 है., खसरा नम्बर 592 रकबा 0.0800 है., खसरा नम्बर 593 रकबा 0.3100 है., खसरा नम्बर 594 रकबा 0.3200 है., खसरा नम्बर 594/921 रकबा 0.1800 है., खसरा नम्बर 595 रकबा 0.3200 है., खसरा नम्बर 596 रकबा 0.3100 है., खसरा नम्बर 597 रकबा 0.1300 है., खसरा नम्बर 598 रकबा 0.4000 है., खसरा नम्बर 599 रकबा 0.5000 है., खसरा नम्बर 600 रकबा 0.4400 है., खसरा नम्बर 601 रकबा 0.1000 है., खसरा नम्बर 602 रकबा 0.1400 है., खसरा नम्बर 605 रकबा 0.5300 है. कुल किता 19 कुल रकबा 4.0100 है. वाके ग्राम मांगाभाटा तहसील दौसा का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थी की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाप्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)